## Central Goods & Services Tax Act, 2017

## Section 24: Compulsory registration in certain cases

Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22, the following categories of persons shall be required to be registered under this Act,–

- (i) persons making any inter-State taxable supply;
- (ii) casual taxable persons making taxable supply;
- (iii) persons who are required to pay tax under reverse charge;
- (iv) person who are required to pay tax under sub-section (5) of section 9;
- (v) non-resident taxable persons making taxable supply;
- (vi) persons who are required to deduct tax under section 51, whether or not separately registered under this Act;
- (vii) persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable persons whether as an agent or otherwise;
- (viii) Input Service Distributor, whether or not separately registered under this Act;
- (ix) persons who supply goods or services or both, other than supplies specified under sub-section (5) of section 9, through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52:
- (x) every electronic commerce operator <sup>1</sup>[who is required to collect tax at source under section 52;]
- (xi) every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person; and
- (xii) Such other person or class of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

www.cggst.com

<sup>1</sup> Inserted vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f. 01/02/2019.

## धारा 24 : कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए इस अधिनिमय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,—

- (i) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय पूर्ति करते है;
- (ii) कराधेय पूर्ति करने वाले आकस्मिक कराधेय व्यक्ति;
- (iii) व्यक्ति, जिनसे प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;
- (iv) व्यक्ति, जिनसे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;
- (v) कराधेय पूर्ति करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
- (vi) व्यक्ति, जिनसे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं;
- (vii) व्यक्ति, जो चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते हैं;
- (viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं;
- (ix) व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्तियों से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यि प्रचालक, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, के माध्यम से पूर्ति करता है;
- (x) प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक <sup>1</sup>[जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है];
- (xi) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के किसी स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की भारत में किसी व्यक्ति को पूर्ति करता है;
- (xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए।

<sup>1</sup> सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।